PLUTUS IAS
UPSC/ PCS

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

प्लूटस आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

10/02/2025 से 16/02/2025 तक

THE HINDU

पत्र सूचना कार्यालय
PRESS INFORMATION BUREAU
भारत सरकार

The Indian EXPRESS

कार्यालय

दूसरी मंज़िल, अप्सरा आर्केड, करोल बाग मेट्रो स्टेशन गेट नंबर - 6, नई दिल्ली 110005

706 प्रथम तल डॉ. मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा के पास दिल्ली - 110009

मोबाइल नं. : +91 84484-40231

वेबसाइट : www.plutusias.com

ईमेल : info@plutsias.com

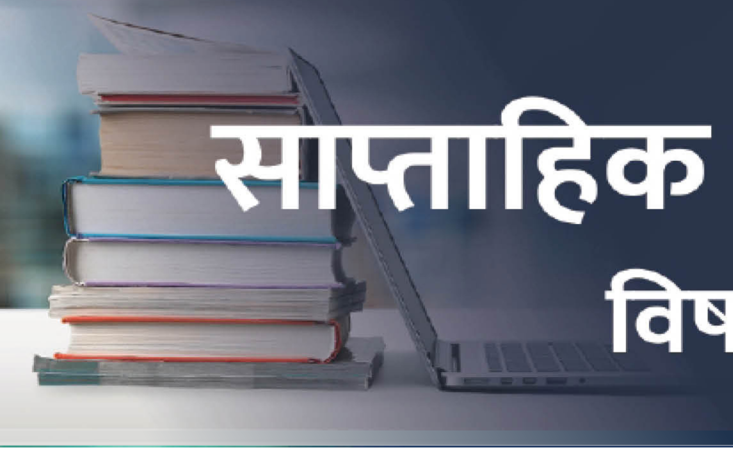

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

1. भारत का आर्थिक उत्थान : रेपो रेट में कटौती से आर्थिक सुधार पर जोर....1
2. राजकोषीय घाटा या जनहित : भारत में फ्रीबीज़ संस्कृति का आर्थिक गणित....5
3. भारत – अमेरिका संबंधों में अवैध प्रवासियों का मुद्दा और उसके समाधान....9
4. भारत में राजकोषीय संघवाद बनाम केंद्र – राज्य संबंध....12
5. खुशहाल बचपन – सुरक्षित स्कूल : भारत के स्कूलों में शारीरिक दंड से मुक्ति....17
6. राजनीति में निष्कलंकता बनाम दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध : सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई....21

PLUTUS IAS

भारत का आर्थिक उत्थान : रेपो रेट में कटौती से आर्थिक सुधार पर जोर

खबरों में क्यों?

- हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने पिछले पांच वर्षों में पहली बार रेपो दर को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा यह निर्णय वर्ष 2020 के बाद पहली बार लिया गया है।
- हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा केंद्रीय बजट 2025-26 में व्यक्तिगत आयकर में कटौती के साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के इस कदम का मुख्य उद्देश्य देश में व्याप्त आर्थिक मंदी के बीच भारतीय अर्थ-व्यस्था के विकास को पुनः गति प्रदान करना है।

RBI द्वारा रेपो रेट में कटौती का मुख्य कारण :

1. **विकास को प्रोत्साहित करने वाला बजट :** केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर में कटौती और TDS सीमा में बदलाव से नागरिकों की प्रयोज्य आय में वृद्धि हुई, जिससे उपभोग के बढ़ने की संभावना है। अतः इस कदम का उद्देश्य अधिक खर्च को प्रोत्साहित करना है।
2. **ऋण लागत में कमी लाने का प्रयास करना :** RBI ने रेपो दर में कटौती कर उधारी की लागत को कम किया, जिससे सरकार के कर कटौती के प्रयासों को भी बल मिला है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है।
3. **मौद्रिक सुलभता के द्वार खोलना और मुद्रा-स्फीति में गिरावट कम करने का प्रयास करना** : उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) दिसंबर 2024 में घटकर 5.22% पर आ गया था , जो चार महीनों में सबसे न्यूनतम स्तर पर रहा है। इससे मौद्रिक नीति में नरमी (Monetary Easing) की संभावना बनी है।
4. **बैंकिंग प्रणाली में तरलता का विस्तार करने के लिए :** भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल ही में बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ाने के लिए 1.5 ट्रिलियन रुपये की पूंजी प्रवाह की योजना बनाई है। इससे महंगे ऋणों की सुलभता बढ़ी है और विकास को गति देने के लिए ब्याज दरें कम की गई है।
5. **घरेलू आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं को कम करना** : अमेरिका द्वारा कनाडा, मैक्सिको और चीन पर लगाए गए नए और हालिया टैरिफ से वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंका बढ़ी है, जिससे भारतीय रुपये की विनिमय दर पर दबाव पड़ा है और मुद्रास्फीति का खतरा बढ़ा है। रेपो रेट में कटौती से बाहरी दबावों को कम किया जा सकता है और घरेलू आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। इस प्रकार, RBI की रेपो दर में कटौती वैश्विक और घरेलू दबावों से निपटने और घरेलू आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

मौद्रिक नीति क्या होता है ?

- मौद्रिक नीति एक व्यापक आर्थिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाने या घटाने के लिए और अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए करते हैं, ताकि कुछ विशिष्ट आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।
- इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) मौद्रिक नीति का संचालन करता है।
- मौद्रिक नीति के माध्यम से, केंद्रीय बैंक अर्थ-व्यवस्था में ऋण की उपलब्धता को विनियमित करता है और आर्थिक नीति के अंतिम उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

PLUTUS IAS

मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरण :

मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरणों में निम्नलिखित शामिल होते हैं –

1. **रेपो दर :** वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है।
2. **रिवर्स रेपो दर :** वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से अतिरिक्त नकदी को अवशोषित करता है।
3. **नकद आरक्षित अनुपात (CRR) :** वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है।
4. **वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) :** वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत तरल संपत्तियों में निवेश करना होता है।

मौद्रिक नीति समिति (MPC) की पृष्ठभूमि :

- मौद्रिक नीति समिति (MPC) की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत भारत की मौद्रिक नीति निर्माण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए की गई थी।
- मौद्रिक नीति समिति (MPC) की स्थापना से पहले, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर सभी महत्वपूर्ण ब्याज दर को निर्धारित करने का निर्णय अपने विवेक के आधार पर लेते थे।

संरचना और उद्देश्य :

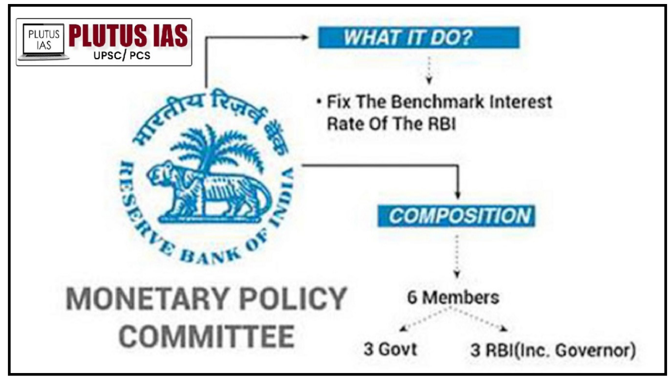

- मौद्रिक नीति समिति (MPC) का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए मुद्रास्फीति को एक निर्धारित लक्ष्य के भीतर बनाए रखना है।
- संशोधित (वर्ष 2016 में) RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत केंद्र सरकार को छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन करने का अधिकार है।
- पहली बार इसका गठन 29 सितंबर, 2016 को किया गया था।
- भारत में इस समिति का गठन उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था।
- मौद्रिक नीति समिति (MPC) में कुल छह सदस्य होते हैं, जिनमें से तीन सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक से और तीन केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत बाहरी सदस्य होते हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है।

बैठक और मतदान की प्रक्रिया :

- मौद्रिक नीति समिति की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार होती है।
- इस समिति की प्रत्येक बैठक के लिए कम से कम चार सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है।
- इसके प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट (मत) देने का अधिकार होता है।
- मतों की बराबरी की स्थिति में गवर्नर के पास दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होता है।

मौद्रिक नीति रिपोर्ट : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) प्रत्येक छह महीने में एक मौद्रिक नीति रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें मुद्रास्फीति की व्याख्या और आगामी 6-8 महीनों के लिए मुद्रास्फीति के अनुमान दिए जाते हैं।

मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य :

मौद्रिक नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1. **अर्थव्यवस्था के विकास को गति प्रदान करना :** आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और समग्र विकास को बढ़ावा देना।
2. **मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर मूल्य स्थिरता बनाए रखना :** मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना।
3. **रोजगार सृजन करना :** रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और बेरोजगारी को कम करना।
4. **विनिमय दर को स्थिर रखना :** विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता बनाए रखना।

मौद्रिक नीति का महत्त्व :

1. **मूल्य स्थिरता बनाए रखने में सहायक :** मूल्य स्थिरता के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है।
2. **आर्थिक विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना :** मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता बनाए रखने और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
3. **उपभोग, बचत, निवेश और पूंजी निर्माण का प्रबंधन करना :** यह उपभोग, बचत, निवेश और पूंजी निर्माण जैसे आर्थिक चरों का प्रबंधन करती है।
4. **मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाना :** इसके तहत मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाकर व्यापार क्षेत्र को प्रोत्साहित करती है, जिससे अधिक रोजगार सृजित होता है।
5. **विनिमय दरों को संतुलित करना :** यह बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करके मुद्रा विनिमय दरों को संतुलित करती है।

भारत में मौद्रिक नीति की सीमाएँ :

1. **बैंकिंग सुविधाओं के प्रति जागरूकता का अभाव :** भारत में अधिकांश लोग बैंकिंग सेवाओं के बजाय नकदी का उपयोग करना अधिक पसंद करते हैं। इससे बैंकों की ऋण निर्माण क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है।
2. **अविकसित मुद्रा बाजार :** भारत का मुद्रा बाजार अपेक्षाकृत कमजोर है, जो आरबीआई की नीतिगत कार्रवाइयों की प्रभावशीलता को सीमित करता है। कमजोर बाजार संरचना के कारण आरबीआई द्वारा उठाए गए कदमों का अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाता है, ऐसी स्थिति मौद्रिक नीति के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालती है।
3. **काला धन (Black Money) :** भारत में काले धन का अस्तित्व में होना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी समस्या है। काले धन का लेन-देन आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं होता, जिससे उधारकर्ता और ऋणदाता अपने लेन-देन को गुप्त रखते हैं। इससे धन की आपूर्ति और मांग असंतुलित रहती है, जो मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन में रुकावट डालता है।
4. **विरोधाभासी उद्देश्य :** आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विस्तारवादी नीतियों की आवश्यकता होती है, जबकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए संकुचनकारी नीतियों की आवश्यकता होती है। इन दोनों उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाना एक चुनौती है, जिससे मौद्रिक नीति – निर्माण के निर्धारण में कठिनाई उत्पन्न होती है।
5. **मुद्रा प्रणालियों की सीमाएँ :** भारत में विभिन्न प्रकार की ब्याज दरें मौजूद हैं, जिन्हें समुचित रूप से नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण है। मौद्रिक नीति के अधिकांश उपकरणों में कुछ न कुछ सीमाएँ होती हैं, जो उनकी प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं।इन सीमाओं के कारण भारत की मौद्रिक नीति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

समाधान और आगे की राह :

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

1. **ब्याज दरों में संशोधन किया जाना :** मौद्रिक नीति समिति (MPC) की हालिया बैठक में ब्याज दरों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। समिति ने यह सुनिश्चित किया कि ब्याज दरों का स्तर आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल हो, ताकि उपभोक्ता और व्यवसाय दोनों की निवेश क्षमता बढ़ सके।

2. **महंगाई पर नियंत्रण करना :** महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया गया। समिति ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) को ध्यान में रखते हुए उपायों को लागू करने की योजना बनाई, ताकि आम आदमी की खरीद शक्ति बनाए रखी जा सके।

3. **वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना :** इस समिति ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आर्थिक गतिविधियों में सभी वर्गों की भागीदारी हो, विशेष रूप से उन वर्गों की जो पारंपरिक वित्तीय सेवाओं से वंचित रह जाते हैं।

4. **नियमित समीक्षा की आवश्यकता :** समिति ने आगे की बैठकों में आर्थिक संकेतकों की नियमित समीक्षा करने का संकल्प लिया। इससे यह सुनिश्चित होगा कि मौद्रिक नीति समयानुकूल और प्रभावी बनी रहे।

5. **अनुसंधान और विकास :** नीति निर्माण में अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके लिए विशेषज्ञों की एक टीम बनाई जाएगी, जो मौद्रिक नीति के विभिन्न पहलुओं पर गहन अध्ययन करेगी।

6. **जन जागरूकता को बढ़ावा देना :** आर्थिक स्थिरता के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इससे लोगों को मौद्रिक नीतियों और उनके प्रभावों के बारे में समझने में मदद मिलेगी।

7. **एक मजबूत आर्थिक व्यवस्था के ढांचा का निर्माण सुनिश्चित करना :** इस बैठक में लिए गए निर्णयों और विचारों के आधार पर, आर्थिक स्थिरता की दिशा में एक नई राह प्रशस्त होगी, जो न केवल वर्तमान चुनौतियों का सामना करेगी, बल्कि भविष्य में भी एक मजबूत आर्थिक व्यवस्था के ढांचा का निर्माण करेगी।

स्रोत – पीआईबी एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों की नियुक्ति छह वर्षों के लिए ही की जाती है।
2. मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है।
3. भारत में मौद्रिक नीति समिति का निर्णय बैंको के लिए बाध्यकारी होता है।
4. मौद्रिक नीति समिति का सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है?

A. केवल 1और 4

B. केवल 2 और 3

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

1. रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से आप क्या समझते हैं ? चर्चा कीजिए कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति द्वारा लिए गए हालिया निर्णय का भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास पर मुद्रास्फीति, जीडीपी

वृद्धि, ऋण बाजार, तरलता समायोजन सुविधा और सांविधिक चलनिधि अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

(शब्द सीमा – 250 अंक -15)

राजकोषीय घाटा या जनहित : भारत में फ्रीबीज़ संस्कृति का आर्थिक गणित

खबरों में क्यों ?

“ किसी आदमी को एक मछली दो तो तुम एक दिन के लिए उसका पेट भरोगे लेकिन अगर किसी आदमी को मछली पकड़ना सिखा दो तो तुम जीवन भर के लिए उसके पेट भरने का उपाय कर दोगे।” (“Give a man a fish and you feed him for a day, teach a man to fish and you feed him for a lifetime.”)

- हाल ही में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा मत-दाताओं को आकर्षित करने के लिए “फ्रीबीज़” या सब्सिडी देने के वादों में वृद्धि देखी जा रही है, जैसा कि 2025 के चुनावों में यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ है।
- भारत में “फ्रीबीज़” या “रेवड़ी संस्कृति” पर बहस लगातार जारी रहती है – कुछ लोग इसे विकास के लिए नकारात्मक मानते हैं, जबकि अन्य इसे सामाजिक और आर्थिक समृद्धि के लिए जरूरी मानते हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ‘फ्रीबीज़’ को “निःशुल्क दी जाने वाली सार्वजनिक कल्याणकारी योजनाएँ” के रूप में परिभाषित किया है।
- एस. सुब्रमण्यम बालाजी केस (2013) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि निःशुल्क सुविधाएँ विधायी नीति का हिस्सा होती हैं और इस पर न्यायिक जांच नहीं हो सकती। न्यायालय ने यह भी माना कि कुछ निःशुल्क वस्तुएं या सेवाएँ राज्य की नीति के निदेशक तत्वों (DPSP) के अनुरूप ही हैं।
- हाल ही में दाखिल एक जनहित याचिका में यह दावा किया गया कि निःशुल्क सुविधाएँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करती हैं। इसके समाधान के लिए हितधारकों की सलाह लेने हेतु एक विशेषज्ञ पैनल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है।

भारत में योजनाओं से संबधित फ्रीबीज (निःशुल्क) संस्कृति क्या है?

- भारत में फ्रीबीज (निःशुल्क) संस्कृति को समझने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट में इसे **“एक लोक कल्याणकारी उपाय”** के रूप में परिभाषित किया गया है, जो नागरिकों को निःशुल्क प्रदान किया जाता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक की उस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि फ्रीबीज स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी व्यापक और दीर्घकालिक लाभ प्रदान करने वाली सार्वजनिक या मेरिट वस्तुओं (public/merit goods) से भिन्न होते हैं।
- भारत में भारत में लोकलुभावनवादी योजनाएं या फ्रीबीज आमतौर पर चुनावी रणनीतियों का हिस्सा होते हैं, जिनका उद्देश्य लोगों को तत्काल लाभ देना होता है, जबकि सार्वजनिक वस्तुएं समाज के समग्र विकास के लिए जरूरी होती हैं।

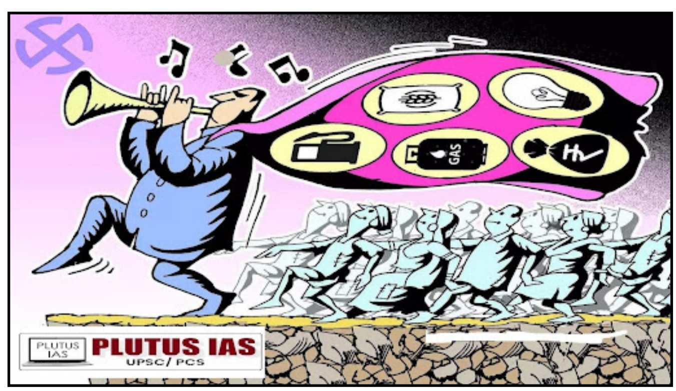

निःशुल्क योजनाएं (फ्रीबीज) और कल्याणकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) के बीच मुख्य अंतर :

- कल्याणकारी योजनाएं जहां समाज या राज्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं, वहीं निःशुल्कता (फ्रीबीज) राज्य या व्यक्ति की राज्य पर निर्भरता और उससे उत्पन्न विकृति को पैदा कर सकती है।

- फ्रीबीज उन वस्तुओं और सेवाओं का समूह हैं जो उपयोगकर्ताओं को बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराए जाते हैं। इनका लक्ष्य सामान्यतः अल्पकालिक लाभ पहुँचाना होता है, जो अक्सर मतदाताओं को आकर्षित करने या लोकलुभावन वादों के तहत एक प्रकार की रिश्वत के रूप में देखे जाते हैं। उदाहरण के लिए, निःशुल्क लैपटॉप, टीवी, साइकिल, बिजली और पानी जैसे उपहार फ्रीबीज के श्रेणी में आते हैं।

- राज्य द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाएं जहाँ सुविचारित कार्यक्रम होती हैं, जिनका उद्देश्य लक्षित जनसंख्या को लाभ पहुँचाना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। ये योजनाएं नागरिकों के प्रति संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं, और इन्हें सामाजिक न्याय, समानता और मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए देखा जाता है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), और मध्याह्न भोजन योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं।

- अतः किसी भी कल्याणकारी राज्य में फ्रीबीज और कल्याणकारी योजनाएं विभिन्न दृष्टिकोण और प्रभाव के साथ एक साथ काम करती हैं, जो समाज में उनकी भूमिका को स्पष्ट करती हैं।

लोकलुभावनवादी निःशुल्क योजनाओं (फ्रीबीज) के लाभ:

1. **लोकतंत्र में पारदर्शिता और संवाद का निर्माण और सार्वजनिक सहभागिता का होना :** निःशुल्क योजनाएं सरकार के प्रति जनता का भरोसा बढ़ाती हैं, जिससे लोकतंत्र में पारदर्शिता और संवाद का निर्माण होता है।

2. **मतदाताओं की जागरूकता और संतोष में वृद्धि होना :** विभिन्न प्रकार के अध्ययन बताते हैं कि निःशुल्क योजनाएं मतदाताओं की जागरूकता और संतोष में वृद्धि करती हैं। जैसे कि – उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में लैपटॉप और साइकिल योजनाएं।

3. **आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना :** देश के कम विकसित राज्यों या क्षेत्रों में निःशुल्क योजनाएं वहां के कार्यबल की उत्पादकता बढ़ाकर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती हैं। जैसे कि – सिलाई मशीन या लैपटॉप वितरण जैसी योजनाएं।

4. **छात्र/छात्राओं के नामांकन और स्कूल ड्रॉपआउट दर में कमी लाने में सहायक :** बिहार और पश्चिम बंगाल में साइकिल जैसी योजनाएं छात्राओं के नामांकन और ड्रॉपआउट दर को सुधारने में सहायक रही हैं।

5. **वंचित वर्गों को बुनियादी सेवाएं प्रदान कर उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायक होना :** निःशुल्क योजनाएं गरीब और वंचित वर्गों को बुनियादी सेवाएं प्रदान कर उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार लाती हैं, जैसे कि स्कूल यूनिफॉर्म और स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाएं।

6. **निर्धनता अनुपात में कमी लाने में सहायक :** खाद्य सब्सिडी ने भारत में निर्धनता अनुपात को 7% तक कम करने में मदद की है।

7. **स्वास्थ्य खर्चों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना :** राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ने गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य खर्चों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

8. **आय असमानता में कमी होना :** निःशुल्क योजनाएं संसाधनों का समान वितरण करके आय असमानता को कम कर सकती हैं, जैसे कि ऋण माफी।

9. **किसानों की साख क्षमता में सुधार होना :** ऋण माफी योजनाओं ने किसानों की साख क्षमता को बेहतर बनाने में मदद की है।

लोकलुभावनवादी निःशुल्क योजनाओं (फ्रीबीज) से होने वाली हानियाँ :

2023-24 में सब्सिडी पर सरकार ने ₹3.75 लाख करोड़ खर्च किए

वित्त वर्ष	सब्सिडी GDP का %	सब्सिडी (₹ लाख करोड़ में)	GDP (₹ लाख करोड़)
2019-20	1.1	1.62	203.85
2020-21	3.6	7.12	198.01
2021-22	1.9	4.48	235.97
2022-23	1.2	3.23	269.50
2023-24	1.2	3.75	293.90

1. **लाभार्थियों में आत्मनिर्भरता की भावना में बाधा उत्पन्न होना :** निःशुल्क योजनाएं लाभार्थियों में आत्मनिर्भरता की भावना को कमजोर कर सकती हैं, जिससे वे भविष्य में और अधिक मुफ्त योजनाओं की अपेक्षा करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, 1 रुपए प्रति किलो चावल या मुफ्त बिजली जैसे लाभ उन्हें सरकारी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह बना सकते हैं। 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि तमिलनाडु में 41% मतदाता इन योजनाओं को मतदान में महत्वपूर्ण मानते हैं।
2. **राजकोषीय घाटा का बढ़ना :** निःशुल्क योजनाएं सार्वजनिक व्यय, सब्सिडी, और ऋण में वृद्धि कर सकती हैं, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ता है। कृषि ऋण माफी या बेरोज़गारी भत्ते जैसी योजनाएं सरकार के बजटीय संसाधनों पर दबाव डालती हैं, जिससे अन्य क्षेत्रों में निवेश करने की क्षमता प्रभावित होती है।
3. **संसाधनों का गलत तरीके से आवंटन होना :** निःशुल्क योजनाओं के कारण राज्य का संसाधन अधिक उत्पादक क्षेत्रों से हटकर निःशुल्क योजनाओं पर खर्च होते हैं, जिससे राज्य के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मोबाइल फोन या लैपटॉप जैसी योजनाओं के लिए बड़े खर्च से सड़कें, पुल और सिंचाई प्रणालियों में निवेश की कमी आ सकती है।
4. **नवाचार और गुणवत्ता में कमी आना :** निःशुल्क योजनाएं वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, मुफ्त साइकिल या लैपटॉप अक्सर बाजार में उपलब्ध उत्पादों की तुलना में कम गुणवत्ता वाले होते हैं।
5. **पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना :** निःशुल्क योजनाएं जल, बिजली, और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग को बढ़ावा देती हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँच सकता है। मुफ्त बिजली या पानी जैसी योजनाएँ लोगों में जल संरक्षण और उर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता को कम कर सकती हैं। कैग की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब में मुफ्त बिजली के कारण उपयोग और दक्षता में कमी आई है। इन हानियों के कारण, निःशुल्क योजनाओं के कार्यान्वयन में संतुलन और जिम्मेदारी की आवश्यकता है।

समाधान / आगे की राह :

1. **राजनीतिक दलों द्वारा वित्तीय स्रोतों की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने की जरूरत :** राजनीतिक दलों को निःशुल्क योजनाओं की घोषणा से पहले उनके वित्तपोषण के स्रोतों की स्पष्टता प्रदान करनी चाहिए। उन्हें यह भी विवरण देना चाहिए कि इन योजनाओं का राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति, सार्वजनिक व्यय पर प्रभाव और दीर्घकालिक स्थिरता पर क्या परिणाम होंगे।
2. **भारत निर्वाचन आयोग की शक्तियों का विस्तार करने की जरूरत :** चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा निःशुल्क योजनाओं की घोषणा और उनके कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को अधिक शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। इसमें राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने और जुर्माना लगाने जैसी सख्त शक्तियाँ शामिल होनी चाहिए।
3. **मतदाता जागरूकता अभियानों और शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा देने की आवश्यकता :** मतदाताओं को निःशुल्क योजनाओं के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। उन्हें इस विषय पर शिक्षित किया जाना चाहिए कि कैसे इन योजनाओं का लंबे समय में प्रभाव पड़ता है, ताकि वे जवाबदेही की मांग कर सकें। इसके लिए विभिन्न जागरूकता अभियान और साक्षरता कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
4. **सार्वजनिक चर्चा को प्रोत्साहित करने और न्यायपालिका की भूमिका को स्पष्ट करने की आवश्यकता :** निःशुल्क योजनाओं पर संसद में रचनात्मक बहस करना कठिन हो सकता है, इसलिए न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्यायालय विभिन्न उपायों पर विचार करके सार्वजनिक चर्चा को प्रोत्साहित कर

सकता है, जिससे बेहतर नीति निर्धारण में मदद मिलेगी।

5. **समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत :** देश में समावेशी विकास के दृष्टिकोण से गरीबी और असमानता के कारणों का समाधान किया जा सकता है, जिससे निःशुल्क योजनाओं पर निर्भरता कम होगी। इससे दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक लाभों का रास्ता साफ होगा।
6. **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम को और अधिक सख्त बनाने की जरूरत :** भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अनियंत्रित सरकारी खर्चों पर नियंत्रण के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम को और सख्त बनाया जाना चाहिए।
7. **समयबद्ध और लक्षित सब्सिडी का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की आवश्यकता :** देश के नागरिकों में स्थायी कल्याण सुनिश्चित करने के लिए, सब्सिडी योजनाओं को समयबद्ध और लक्षित रूप से लागू किया जाना चाहिए।
8. **कल्याण और फ्रीबीज़ को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की जरूरत :** देश में सामाजिक उपयोगिता, दीर्घकालिक प्रभाव और राजकोषीय स्थिरता के आधार पर, आवश्यक कल्याण योजनाओं को चुनावी फ्रीबीज़ से अलग करने के लिए स्पष्ट नीतिगत दिशा-निर्देशों की आवश्यकता है।
9. **संस्थागत संरचना को सशक्त बनाने की जरूरत :** सार्वजनिक खर्च की निगरानी के लिए वित्तीय नियामकों को मजबूत किया जाना चाहिए और ऑफ-बजट उधारी एवं प्रच्छन्न सब्सिडी पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए।
10. **कल्याण और राजकोषीय घाटा में संतुलन स्थापित करने की जरूरत :** देश में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन पर जोर दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सब्सिडी और सामाजिक योजनाएं नागरिकों में योजनाओं पर निर्भरता को बढ़ावा न दे बल्कि वह क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने को सुनिश्चित करें।

निष्कर्ष :

- राजनीतिक दल अक्सर मतदाताओं को मुफ्त योजनाओं के संभावित नुकसानों से अवगत नहीं कराते हैं। हालांकि, जब मतदाता समझेंगे कि इन योजनाओं के कारण उन्हें अन्य आवश्यक सेवाओं से वंचित किया जा सकता है, तो वे इन योजनाओं को अस्वीकार करने का विकल्प चुन सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ही भारी दबाव में है, और ऐसी आकर्षक योजनाओं का चुनावों पर सीमित प्रभाव हो सकता है। राजनीतिक दलों को यह समझने की आवश्यकता है कि चुनावी लाभ अस्थायी हो सकता है, और उसे यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि मतदाताओं को सही जानकारी के आधार पर निर्णय लेने का अवसर प्रदान किया जाए।

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में लोकलुभावनवादी निःशुल्क योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इसे जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने एवं समाज कल्याण में सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से किया जाता है।
2. इसे आमतौर पर अल्पावधि में लक्षित आबादी को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है।
3. इसमें व्यय प्राथमिकताओं और संसाधनों का गलत आवंटन होने की संभावना होती है।
4. यह गरीबी और आय असमानता को कम करने में सहायक होता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 2 और 4

C. इनमें से कोई नहीं

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चर्चा कीजिए कि किस प्रकार लोकलुभावनवादी घोषनाएं और योजनाएं किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में राजकोषीय घाटा को बढ़ाने के साथ-साथ भारत

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

की आर्थिक सुधार की गति पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं ? इनमें निहित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभावों की आलोचनात्मक व्याख्या कैसे की जा सकती है? (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

भारत – अमेरिका संबंधों में अवैध प्रवासियों का मुद्दा और उसके समाधान

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में, 104 भारतीय नागरिकों को लेकर एक अमेरिकी सैन्य विमान, पंजाब के अमृतसर में उतरा।अमेरिकी सैन्य विमान में यात्रा के दौरान, कई निर्वासितों ने हथकड़ी लगाए जाने और शौचालयों तक सीमित पहुँच की शिकायत की है।
- अमेरिका ने अवैध भारतीय अप्रवासियों को निर्वासित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है।
- जनवरी 2025 के बाद, ट्रंप प्रशासन ने आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) की कार्रवाई को तेज कर दिया है।
- वर्ष 2024 के मध्य में, 1,60,000 व्यक्तियों को 495 उड़ानों के माध्यम से विभिन्न देशों में निर्वासित किया गया, जिसमें अवैध भारतीय अप्रवासी भी शामिल है।
- इस प्रक्रिया ने वैश्विक स्तर पर चर्चाएं उत्पन्न की हैं, खासकर भारतीय नागरिकों के निर्वासन पर, जिनमें से अधिकांश गुजरात और पंजाब जैसे उच्च प्रवासन वाले राज्य से हैं।
- यह घटना अमेरिकी आव्रजन नीति में हुए कठोर बदलाव को दर्शाती है, जो भारत-अमेरिका रिश्तों और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार पर भी असर डाल सकती है।
- अवैध प्रवासन और निर्वासन के कारणों को समझना, कानूनी उपायों और नीति निर्माण में अहम भूमिका निभाता है, ताकि सीमा सुरक्षा और मानवाधिकार के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके।

प्रवासन : परिभाषा और प्रकार :

प्रवासन का अर्थ है – **“ लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक या पर्यावरणीय कारणों से स्थानांतरित होना। ”** इसे मुख्य रूप से दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- **वैध प्रवासन :** इसमें वे लोग शामिल होते हैं जो वीजा, कार्य परमिट या स्थायी निवास जैसी कानूनी अनुमतियों के तहत देश में प्रवेश करते हैं।
- **अवैध प्रवासन :** इसमें वे लोग आते हैं जो बिना अनुमति के किसी देश में प्रवेश करते हैं या वीजा की वैधता समाप्त होने के बाद भी वहां रहते हैं। भारत के नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत, अवैध प्रवासी वह व्यक्ति है जो बिना वैध दस्तावेजों के या निर्धारित समय से अधिक समय तक भारत में रहता है।
- **अमेरिका में अवैध भारतीय प्रवासियों की संख्या का आंकलन :** अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) के अनुसार, 20-24 नवंबर तक 20,407 भारतीय नागरिक या तो हिरासत में थे या निष्कासन आदेशों का सामना कर रहे थे। इनमें से 17,940 को निष्कासन आदेश मिल चुका था, जबकि 2,467 लोग अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) की हिरासत में थे। पिछले वर्ष करीब 1,100 भारतीय नागरिकों को विशेष चार्टर उड़ानों से अमेरिका से निर्वासित किया गया।
- सैन एंटोनियो, टेक्सास से अमेरिकी सैन्य सी-17 विमान द्वारा हालिया निर्वासन उड़ान में भारतीय

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

नागरिकों को भारत भेजा गया। निर्वासन की लागत काफी अधिक है, जैसे ग्वाटेमाला के लिए एक सैन्य उड़ान की लागत प्रति प्रवासी $4,675 तक होता है।

भारत से अवैध प्रवास के प्रमुख कारण :

1. **आर्थिक संकट और बेरोजगारी :** भारत में बेरो-जगारी और कम वेतन के कारण, लोग बेहतर जीवन के लिए अवैध प्रवास का विकल्प चुनते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में कम वेतन वाली नौकरी भी भारत में अच्छे वेतन से बेहतर होती है।
2. **कृषि संकट और ग्रामीण प्रवास में बढ़ते कर्ज का होना :** भारत का अधिकांश कार्यबल कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषि आय में स्थिरता नहीं है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में कृषि संकट और बढ़ते कर्ज के कारण लोग जमीन बेचकर अवैध प्रवास का रास्ता अपनाते हैं।
3. **वेतन असमानता और रोजगार के बेहतर अवसर का होना :** भारत में औसत वेतन अमेरिकी वेतन के मुकाबले बहुत कम है, जिससे बेहतर वेतन और बेहतर जीवन की तलाश में लोग विदेशों का रुख करते हैं। वर्ष 2024 की विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार, भारत से धन प्रेषण में वृद्धि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करता है।
4. **सामाजिक प्रतिष्ठा और सफलता के स्थिति का प्रतीक होना :** भारत के पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों में परिवारों के विदेश में बसे सदस्य को सफलता और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है, जिससे लोग अवैध मार्गों का चुनाव करते हैं।
5. **मानव तस्करी और फर्जी ट्रैवल एजेंट रैकेट का होना :** मानव तस्करी और नकली वीजा रैकेट भी अवैध प्रवास को बढ़ावा देते हैं। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2024 में एक बड़े नकली वीजा रैकेट का पर्दाफाश किया था।
6. **अमेरिका में नागरिकता प्राप्त करने के लिए कानूनी और नौकरशाही बाधाओं का होना :** अमेरिकी वीजा प्राप्त करने के लिए लंबी प्रतीक्षा अवधि और ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए वीजा प्रतिबंधों के कारण कई भारतीय अवैध प्रवास की ओर अग्रसर होते हैं।
7. **राजनीतिक अस्थिरता और धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ना :** भारत में कुछ अल्पसंख्यक समुदायों को सामाजिक भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जिससे वे शरणार्थी के रूप में विदेशों में अवैध प्रवेश करते हैं।
8. **'डंकी रूट' प्रवृत्ति का बढ़ता प्रचलन :** अमेरिका में अवैध प्रवास के लिए 'डंकी रूट' का चलन बढ़ रहा है, जहां लोग मैक्सिको की सीमा से अमेरिका में प्रवेश करते हैं, विशेष रूप से पंजाब और गुजरात के युवा इसमें शामिल हैं।

समाधान / आगे की राह :

1. **पुराने उत्प्रवास अधिनियम, 1983 में आवश्यक बदलाव किए जाने की जरूरत :** प्रवास की प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए पुराने उत्प्रवास अधिनियम, 1983 में आव-श्यक बदलाव किए जाने चाहिए। यह संशोधन प्रवास की समुचित निगरानी सुनिश्चित करेगा और प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा करेगा। इसके अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के प्रवासियों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश, सुरक्षा उपाय और वीजा नीति के सुधार की आवश्यकता है।
2. **वीजा आवेदन की प्रक्रिया को सरल और बनाने की जरूरत :** अवैध प्रवास को नियंत्रित करने के लिए, वीजा आवेदन की प्रक्रिया को सरल और शीघ्र बनाने की जरूरत है। विशेष रूप से, यू.एस.

PLUTUS IAS

वीजा जैसी लंबी प्रतीक्षा अवधि (जो कि 600 से अधिक दिनों तक हो सकती है) को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए, ताकि अवैध प्रवास के प्रयासों को रोका जा सके।

3. **मानव तस्करी और नकली एवं धोखाधड़ी एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता :** मानव तस्करी और नकली प्रवास एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। इसके लिए, सभी प्रवास सलाहकारों को सरकार द्वारा पंजीकृत किया जाए और उनकी पृष्ठभूमि की जांच की जाए। इसके अलावा, ऐसे एजेंटों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, जो प्रवासियों को धोखा देते हैं।

4. **वीजा आवेदकों की धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए अत्याधुनिक सत्यापन प्रणाली का उपयोग करने की जरूरत :** वीजा आवेदकों की धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए हवाई अड्डों पर AI-आधारित ट्रैकिंग सिस्टम और बायोमेट्रिक सत्यापन प्रणाली का इस्तेमाल किया जाए, जिससे संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान तुरंत की जा सके और सुरक्षा में सुधार हो।

5. **रोजगार सृजन और कौशल विकास कार्यक्रमों पर जोर देने की आवश्यकता :** उच्च प्रवास वाले राज्यों जैसे पंजाब, गुजरात, हरियाणा, और आंध्र प्रदेश में रोजगार सृजन और कौशल विकास कार्यक्रमों पर जोर दिया जाए, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके और प्रवास पर निर्भरता कम हो सके।

6. **अवैध प्रवास के लिए उच्च ब्याज दरों पर वित्तीय लोन लेने से बचाव करने की जरूरत :** अवैध प्रवास के लिए उच्च ब्याज दरों पर ऋण लेने से परिवारों को बचाने के लिए वित्तीय साक्षरता और जागरूकता अभियानों की शुरुआत की जानी चाहिए। साथ ही, उन परिवारों को इस बारे में जानकारी दी जाए, जो अवैध प्रवास के लिए ऋण लेने का सोच रहे हैं, ताकि वे इसके खतरों से अवगत हो सकें।

7. **पारगमन देशों के साथ सीमा सुरक्षा समझौतों को और मजबूत करने की जरूरत :** मानव तस्करी को रोकने के लिए पारगमन देशों जैसे मैक्सिको, ग्वाटेमाला, और इक्वाडोर के साथ सीमा सुरक्षा समझौतों को और मजबूत किया जाए। इन देशों के साथ सहयोग बढ़ाने से तस्करी और अवैध प्रवास को नियंत्रित किया जा सकेगा।

8. **अवैध प्रवास के खतरों के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत :** अवैध प्रवास के खतरों और कानूनी प्रवास के रास्तों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं। इसके तहत, उच्च प्रवास जिलों में प्रवासियों को डंकी नेटवर्क के बारे में जागरूक किया जाए और कानूनी प्रवास विकल्पों पर जानकारी प्रदान की जाए।

9. **प्रवासियों के सहायता के लिए सरकारी हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल की स्थापना करने की जरूरत :** प्रवासियों को वास्तविक समय में जरूरी जानकारी देने के लिए सरकारी हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल की स्थापना की जाए, जिससे वे कानूनी मार्गों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और अपने प्रश्नों का समाधान पा सकें।

10. **सीमा सुरक्षा और हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच को सुदृढ़ बनाने की जरूरत :** सीमा सुरक्षा और हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच को बढ़ाने के लिए AI-आधारित प्रोफाइलिंग तकनीकों का उपयोग किया जाए, जिससे उच्च जोखिम वाले यात्रियों की पहचान और जांच अधिक सटीक तरीके से की जा सके।

11. **खुफिया जानकारियों को आपस में साझा करने की जरूरत :** अवैध प्रवास पर नियंत्रण पाने के लिए विभिन्न पारगमन देशों जैसे मैक्सिको, कनाडा, यूएई और तुर्की के साथ खुफिया जानकारी साझा की जाए, जिससे अवैध प्रवास के प्रयासों को प्रभावी ढंग से रोका जा सके।

12. **निर्वासित प्रवासियों के लिए सामाजिक पुनः एकीकरण के कार्यक्रमों की शुरुआत करने की जरूरत :** निर्वासित प्रवासियों के लिए कौशल प्रशिक्षण, रोजगार सहायता और सामाजिक पुनः एकीकरण के कार्यक्रमों की शुरुआत की जाए, ताकि वे वैध तरीके से रोजगार प्राप्त कर सकें और पुनः अवैध प्रवास का प्रयास न करें।

13. **आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की जरूरत :** निर्वासित प्रवासियों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाए, ताकि वे आर्थिक कठिनाइयों से उबर सकें और जीवन यापन की स्थितियों को सुधार सकें।

निष्कर्ष :

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- अवैध प्रवास एक जटिल और बहुआयामी समस्या है, जो आर्थिक संकट, व्यक्तिगत आकांक्षाओं और तस्करी नेटवर्क द्वारा प्रोत्साहित होती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए भारत को मानव तस्करी और अवैध प्रवास की रोकथाम के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए, साथ ही कानूनी प्रवास मार्गों को प्रभावी और सुलभ बनाना चाहिए। भारत को रोजगार सृजन, कौशल विकास और कड़ी निगरानी के माध्यम से अवैध प्रवास को नियंत्रित करने के उपायों को लागू करना चाहिए, ताकि यह समस्या कम हो सके और प्रवासियों को सुरक्षित और वैध तरीके से अपने जीवन की दिशा तय करने का अवसर मिले।

स्त्रोत – द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. अवैध प्रवासन के संदर्भ में 'डंकी रूट' प्रवृत्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. यह प्रवृत्ति अमेरिका में अवैध प्रवास के लिए एक नया मार्ग है।
2. यह प्रवृत्ति केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है।
3. यह प्रवृत्ति विशेष रूप से मैक्सिको की सीमा से जुड़ी है।
4. यह प्रवृत्ति केवल यूरोपीय देशों में प्रचलित है।

नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें :

A. केवल 1 और 4

B. केवल 2 और 4

C. केवल 1 और 3

D. केवल 2 और 3

उत्तर – C

व्याख्या :

1. यह प्रवृत्ति अमेरिका में अवैध प्रवास के लिए एक नया मार्ग है।

2. यह प्रवृत्ति विशेष रूप से मैक्सिको की सीमा से जुड़ी है। अतः विकल्प C सही उत्तर है।

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. अवैध भारतीय अप्रवासियों को निर्वासित करने के प्रमुख कारण क्या हैं, और इससे भारत-अमेरिका के द्विपक्षीय रिश्तों और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है? चर्चा कीजिए कि अवैध प्रवासन और निर्वासन की समस्या से निपटने के लिए भारत को नीति निर्माण, वीजा प्रक्रियाओं, रोजगार सृजन और मानव तस्करी के खिलाफ क्या कदम उठाने चाहिए?

(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

भारत में राजकोषीय संघवाद बनाम केंद्र – राज्य संबंध

खबरों में क्यों ?

- हाल ही केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्यों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के तहत प्रदान करने वाली राशियों में से 91,000 करोड़ रुपए की व्यय में कटौती की है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त पिछले हस्तांतरणों से 1.6 लाख करोड़ रुपए की अप्रयुक्त धनराशि ही प्राप्त हुई है।
- कई राज्यों ने इसे राजकोषीय संघवाद का उल्लंघन बताते हुए अनुच्छेद 282 की वैधता पर सवाल उठाए हैं।

- इस मामले में राज्य सरकारों का कहना है कि केंद्र की उधारी सीमा भारत के संघीय ढांचे के विपरीत है।
- अनुच्छेद 282 संघ और राज्यों को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान देने की अनुमति देता है, चाहे वह उनके क्षेत्राधिकार से बाहर हो।
- केंद्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला यह अनुदान वित्त आयोग की सिफारिशों से बाध्य नहीं होता और इसे विवेकाधीन माना जाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2010 में भीम सिंह मामले में केंद्र की अनुच्छेद 282 के तहत अनुदान देने की शक्ति को वैध ठहराया था।

भारत में राजकोषीय संघवाद का अर्थ :

- राजकोषीय शब्द की उत्पत्ति **'फिस्क'** शब्द से हुई है जिसका अर्थ है सार्वजनिक खजाना या सरकारी धन।
- अतः राजकोषीय नीति सरकार की राजस्व और व्यय नीति से संबंधित होती है।
- भारत में राजकोषीय संघवाद का तात्पर्य केंद्र और राज्यों के बीच संसाधन के वितरण को संदर्भित करना है।
- **भारतीय संविधान की 7 वीं अनुसूची** में केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।
- भारत के संविधान में ऐसी 3 सूचियाँ हैं जहाँ केंद्र और राज्य के बीच करों का वितरण किया जाता है।

वे निम्नलिखित है –

- **संघ सूची**
- **राज्य सूची**
- **समवर्ती सूची**

भारत में राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य :

भारत में राजकोषीय नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

1. उच्च आर्थिक विकास
2. मूल्य स्थिरता
3. असमानता में कमी

उपरोक्त उद्देश्यों को निम्नलिखित तरीकों से पूरा किया जाता है –

1. उपभोग नियंत्रण – इस तरह, बचत और आय का अनुपात बढ़ाया जाता है।
2. निवेश की दर बढ़ाना.
3. कराधान, बुनियादी ढांचे का विकास।
4. प्रगतिशील करों का अधिरोपण.
5. कमजोर वर्गों को करों से छूट प्रदान की गई।
6. विलासिता की वस्तुओं पर भारी कर लगाना।
7. अनर्जित आय को हतोत्साहित करना।

भारत में राजकोषीय नीति के मुख्य घटक :

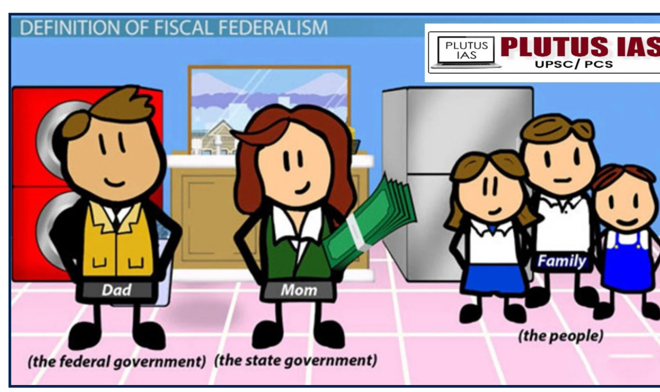

भारत की राजकोषीय नीति के मुख्य रूप से तीन घटक होते हैं। जो निम्नलिखित हैं –

1. सरकारी रसीदें
2. सरकारी खर्च
3. सार्वजनिक ऋण

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

भारत में सरकार की सभी प्राप्तियाँ और सभी प्रकार के होने वाले व्यय निम्नलिखित निधियों में से जमा और निर्गत अथवा व्यय किया जाता है।

1. भारत की संचित निधि
2. भारत की आकस्मिकता निधि
3. भारत का सार्वजनिक खाता

शुद्ध/ नेट उधार सीमा (एनबीसी) :

- नेट उधार सीमा (एनबीसी) भारत में राज्यों की उधार क्षमता पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला प्रतिबंध होता है। जिसमें यह उस धन की मात्रा को सीमित करता है जिसके तहत भारत में कोई भी राज्य खुले बाजार से या विभिन्न स्रोतों से कोई भी उधार ले सकता है।
- दिसंबर 2023 तक, भारत में राज्यों के लिए सामान्य शुद्ध उधार सीमा ₹8,59,988 करोड़ या राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3% है।
- हालाँकि, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में भाग लेने के लिए भारत के 22 राज्योंको ₹60,880 करोड़ की अतिरिक्त उधार सीमा को मंजूरी दे दी है।
- एनबीसी का मुख्य उद्देश्य राज्य के वित्त को वि-नियमित करना, अत्यधिक उधार लेने से रोकना तथा भारत में राजकोषीय अनुशासन को सुनि-श्चित करना है।

एनबीसी के अंतर्गत शामिल अतिरिक्त – बजटीय उधार :

- केंद्र ने राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा लिए गए कर्ज को एनबीसी में शामिल किया है। जैसे, कई राज्यों के वैधानिक निकाय (जैसे कि केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड) एनबीसी की 3% सीमा से अधिक अतिरिक्त ऋण नहीं जुटा सकते हैं। इस कदम ने राज्य के वित्त को विनियमित करने के केंद्र सरकार के अधिकार के संबंध में संवैधानिक चिंताओं को बढ़ा दिया है ।

एनबीसी के मामले में राज्य सरकारों का तर्क :

- **राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता :** केंद्र के द्वारा एफआरबीएम अधिनियम, 2003 में किया गया संशोधन राज्य की राजकोषीय स्वायत्तता का उल्लंघन करता है ।
- **उधार सीमा :** केंद्र के संशोधनों ने केरल की उधार सीमा को काफी कम कर दिया है, जिससे राज्य के वित्तीय संकट प्रबंधन पर असर पड़ा है ।
- **संवैधानिक उल्लंघन :** केरल का तर्क है कि केंद्र की कार्रवाई राज्य के विधायी क्षेत्र का अतिक्रमण है, जो संविधान की 7 वीं अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन है।
- **वित्तीय संकट :** राज्य को डर है कि हस्तक्षेप के बिना, लगाए गए वित्तीय अवरोधों का दीर्घकालिक हानिकारक प्रभाव हो सकता है।
- **एकमुश्त पैकेज :** सुप्रीम कोर्ट द्वारा केरल को अगले वित्तीय वर्ष के लिए कड़ी शर्तें लगाते हुए धन की कमी से निपटने में मदद करने का सुझाव दिया गया था। राज्य ने 5000 करोड़ रुपये का ऋण अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसे ऋण के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

केंद्र सरकार का तर्क :

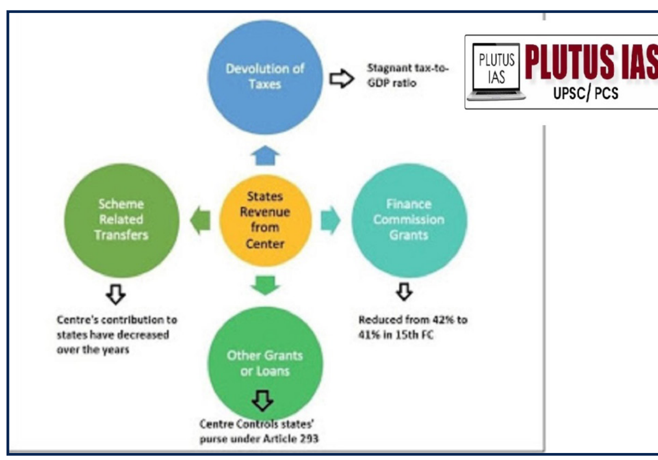

- **राज्य का वित्तीय संकट :** इस मामले में केंद्र का तर्क है कि राज्यों की वित्तीय संकट राज्य के कुप्रबंधन और अपव्यय के कारण है, न कि उधार लेने की सीमा के कारण है।
- **एफआरबीएम अधिनियम 2003 :** केंद्र और राज्यों के बीच राजकोषीय लेनदेन एफआरबीएम अधिनियम, 2003 द्वारा शासित होते हैं, जिसमें

उधार लेने की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3% के आधार पर निर्धारित की जाती है।

- **15वां वित्त आयोग की सिफारिशें :** केंद्र ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों का हवाला देते हुए उधार सीमा में ढील देने से इनकार कर दिया है। इसने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पार करने और वेतन पर उच्च व्यय के कारण केरल को **"अत्यधिक ऋणग्रस्त राज्य "** के रूप में दिखाया है। केंद्र ने कहा कि उसका एकमुश्त पैकेज प्रस्ताव (5000 करोड़ रुपये) सख्त शर्तों के साथ आता है ताकि अन्य राज्यों को समान पैकेज के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाने से रोका जा सके।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएमए), 2003 :

- भारत में FRBM अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सरकार पर राजकोषीय अनुशासन लागू करना है। अतः इस अधिनियम के तहत सरकार को अपने राजकोषीय नीति को अनुशासित तरीके से या जिम्मेदार तरीके से संचालित किया जाना चाहिए यानी सरकारी घाटे या उधार को उचित सीमा के भीतर रखा जाना चाहिए और सरकार को अपने राजस्व के अनुसार अपने व्यय की योजना बनानी चाहिए ताकि उधार सीमा के भीतर रहे।

भारत में राज्य की उधारी को कैसे विनियमित किया जाता है ?

- **अनुच्छेद 293 :** यह राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करता है, जिससे उन्हें राज्य के समेकित कोष से गारंटी पर केवल भारत के क्षेत्र के भीतर से उधार लेने की अनुमति मिलती है।
- **एफआरबीएम अधिनियम 2003 :** राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 को राजकोषीय प्रबंधन में अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए राजकोषीय घाटे और उधार की सीमा निर्धारित करता है।
- **वित्त आयोग :** भारत में वित्त आयोग समय-समय पर राजकोषीय मामलों के संबंध में सिफारिशें करता है, जिसमें राज्यों के लिए उधार सीमा भी शामिल है, यह आर्थिक स्थितियों, राजकोषीय स्वास्थ्य और विकासात्मक आवश्यकताओं जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए राज्यों के लिए उधार सीमा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- **राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम :** प्रत्येक राज्य का अपना राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम हो सकता है, जो राज्य के भीतर उधार लेने और राजकोषीय प्रबंधन के लिए सीमाओं और दिशानिर्देशों को परिभाषित करता है।
- **केंद्र की भूमिका :** यह वित्तीय मामलों की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें वित्त आयोग जैसे निकायों की सिफारिशों के आधार पर राज्यों के लिए उधार सीमा को मंजूरी देना भी शामिल है। यह विधायी परिवर्तनों, एफआरबीएम अधिनियम जैसे मौजूदा कानूनों में संशोधन, या अतिरिक्त धन देने में विवेक का प्रयोग करके या असाधारण परिस्थितियों में उधार लेने की बाधाओं में ढील देकर राज्य की उधार सीमा को प्रभावित कर सकता है।
- **ऋण चुकाना :** राज्य की उधारी का उपयोग लाभदायक निवेशों के बजाय चल रहे खर्चों के लिए किया जाता है, जिससे इसकी क्रेडिट रेटिंग प्रभावित होती है।
- **राजस्व सृजन :** राज्य का राजस्व सृजन उसकी व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है, राज्य जीएसटी सहित करों से राजस्व पर बहुत अधिक निर्भर करता है लेकिन आर्थिक गतिविधि में उतार-चढ़ाव और बाहरी कारक कर संग्रह को प्रभावित करते हैं।
- **व्यय प्रणाली :** वेतन, पेंशन और सब्सिडी जैसी वस्तुओं पर उच्च स्तर का आवर्ती व्यय होता है जो राज्य में वित्तीय असंतुलन पैदा करता है।

- **प्राकृतिक आपदाएँ :** केरल प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूस्खलन आदि से ग्रस्त है, जो बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचा सकता है और आर्थिक गतिविधियों को बाधित कर सकता है।

समाधान / आगे का रास्ता :

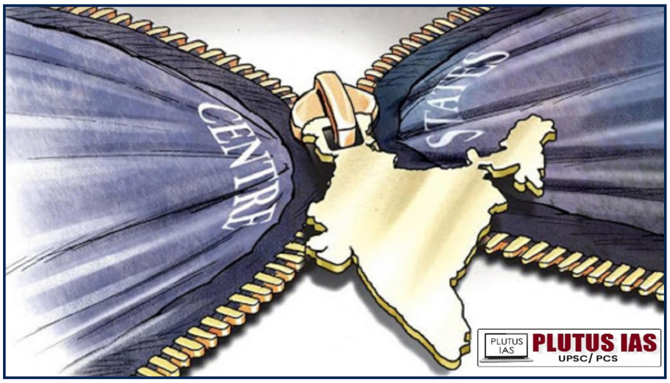

- **केंद्रीय निरीक्षण और राज्य की वित्तीय स्वतंत्रता को पालन करने की जरूरत :** राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार को दी गई चुनौती राजकोषीय संघवाद और वित्तीय प्रबंधन में राज्य की स्वायत्तता पर एक महत्वपूर्ण संवैधानिक विवाद को उजागर करती है। राज्य का तर्क है कि राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के ऋण और सार्वजनिक खाते की शेष राशि सहित उधार लेने पर केंद्र के प्रतिबंध, उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यह कानूनी लड़ाई केंद्रीय निरीक्षण और राज्य की वित्तीय स्वतंत्रता के बीच तनाव को रेखांकित करती है, जो संभावित रूप से भारत में संघीय-राज्य वित्तीय संबंधों की गतिशीलता को नया आकार दे रही है।
- **न्यायिक समीक्षा और न्यायिक स्पष्टीकरण की जरूरत :** एनबीसी के मामले में केरल ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली है। अतः इसका एक समाधान अनुच्छेद 293(3) और अनुच्छेद 266(2) के संबंध में एनबीसी की संवैधानिक वैधता की न्यायिक समीक्षा है। न्यायालय की व्याख्या राज्य के उधार पर केंद्र के अधिकार की संवैधानिक सीमाओं से संबंधित विवादों को हल कर सकती है।
- **सहकारी संघवाद को मजबूत करने की जरूरत :** जीएसटी परिषद या विशेष रूप से बुलाई गई राजकोषीय नीति परिषद जैसे मंचों के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच नियमित उच्च-स्तरीय बैठकें बातचीत को सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य उधार सीमा पर बातचीत करना और यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्यों के पास अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय छूट हो।
- **विधायी कार्रवाई :** संसद राज्य के उधारों पर केंद्रीय निगरानी के दायरे को स्पष्ट करने के लिए कानून बनाने या मौजूदा कानूनों (संवैधानिक सीमाओं के अधीन) में संशोधन करने पर विचार कर सकती है। इसे राजकोषीय संघवाद के संतुलन का सम्मान करना चाहिए और राज्यों के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार किया जाना चाहिए।
- **राज्य स्तर पर राजकोषीय उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना :** राज्य अपने राजकोषीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए सक्रिय कदम उठा सकते हैं। स्पष्ट घाटे के लक्ष्य और बजट प्रबंधन प्रथाओं को निर्धारित करके, राज्य राजकोषीय विवेक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप से केंद्र के साथ उनकी बातचीत की शक्ति बढ़ सकती है।
- **सार्वजनिक खाता प्रबंधन पर आम सहमति बनाना :** एनबीसी के भीतर सार्वजनिक खाता निकासी को शामिल करने के मुद्दे को सभी राज्यों के बीच व्यापक सहमति बनाकर संबोधित किया जा सकता है, जिसे बाद में ऐसे लेनदेन को उधार सीमा से बाहर करने के लिए संयुक्त मोर्चे पर केंद्र के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। .
- **आर्थिक सुधार और विकास संवर्धन को बढ़ावा देना :** आर्थिक सुधारों के माध्यम से कर आधार का विस्तार करना , निवेश के माहौल को बढ़ावा देना और राज्य के स्वयं के स्रोत राजस्व में वृद्धि को बढ़ावा देना, उधार पर निर्भरता के बिना राज्य के खर्च के लिए पर्याप्त धन सुनिश्चित करने के स्थायी तरीके हो सकते हैं।

स्त्रोत – पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में राजकोषीय संघवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. संविधान की 7 वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण से संबंधित है।
2. भारत में राज्यों की उधार क्षमता पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाले प्रतिबंध को शुद्ध उधार सीमा (एनबीसी) कहा जाता है।
3. राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा लिए गए कर्ज को केंद्र द्वारा एनबीसी में शामिल किया जाता है।
4. केंद्र द्वारा राज्यों के लिए उधार सीमा प्रतिबंध निर्धारित करना भारत के राजकोषीय संघवाद के मूल स्वरुप और उसके प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. हाल के वर्षों में सहकारी संघवाद की अवधारणा पर तेजी से जोर दिया गया है। सहकारी संघवाद के मौजूदा ढांचे में व्याप्त कमियों पर प्रकाश डालते हुए यह चर्चा कीजिए कि राजकोषीय संघवाद किस हद तक इन कमियों का समाधान करेगा ? (UPSC CSE 2015) (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

Q.2 आप कहां तक सोचते हैं कि सहयोग, प्रतिस्पर्धा और टकराव ने भारत में संघ की प्रकृति को आकार दिया है? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए कुछ हालिया उदाहरण उद्धृत करें। (UPSC CSE – 2020) (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

खुशहाल बचपन – सुरक्षित स्कूल : भारत के स्कूलों में शारीरिक दंड से मुक्ति

खबरों में क्यों ?

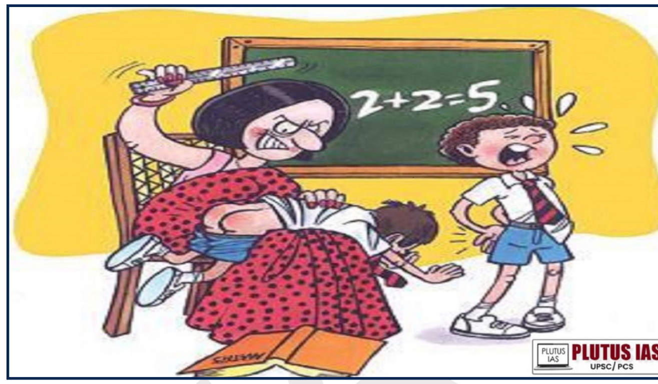

- हाल ही में, तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के स्कूलों में बच्चों के शारीरिक दंड के उन्मूलन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो छात्रों के शारीरिक और मानसिक कल्याण की रक्षा करने और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न को रोकने पर केंद्रित हैं।
- तमिलनाडु द्वारा जारी यह दिशा-निर्देश भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली में एक सकारात्मक और समर्थक वातावरण स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
- यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में बच्चों के शारीरिक दंड और दुर्व्यवहार से बचाव का विषय उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है।

भारत में स्कूलों में बच्चों के लिए शारीरिक दंड और दुर्व्यवहार से बचाव के लिए निर्धारित दिशा – निर्देशों के प्रमुख प्रावधान :

भारत में बच्चों के लिए शारीरिक दंड और दुर्व्यवहार से बचाव के लिए निर्धारित दिशा -निर्देशों के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है –

1. **उद्देश्य :** ये दिशा-निर्देश शारीरिक दंड, मानसिक उत्पीड़न, और भेदभाव को समाप्त करने और छात्रों के लिए एक सुरक्षित और विकासात्मक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं।

2. **मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा :** इनमें छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने और सभी हित-धारकों को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के दिशा – निर्देशों के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन करना शामिल है।

3. **निगरानी समितियां :** प्रत्येक स्कूल में स्कूल प्राचार्यों, अभिभावकों, शिक्षकों, और वरिष्ठ छात्रों को शामिल करते हुए निगरानी समितियों की स्थापना पर जोर दिया गया है, जो शारीरिक दंड और दुर्व्यवहार से बचाव के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी और मुद्दों का समाधान करेंगी।

4. **सकारात्मक कार्रवाइयां :** भारत में बच्चों के प्रति शारीरिक दंड के विरुद्ध सकारात्मक कार्रवाइयों का एक दिशा – निर्देश जारी किया गया है, जिसमें बहु-विषयक हस्तक्षेप, जीवन कौशल शिक्षा, और बच्चों की शिकायतों के लिए एक प्रणाली शामिल है।

शारीरिक दंड की परिभाषा :

- **शारीरिक दंड की परिभाषा :** राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के अनुसार, शारीरिक दंड वह क्रियाएँ हैं जो बच्चों को दर्द, चोट या हानि पहुँचाती हैं।
- **संयुक्त राष्ट्र की बाल अधिकारों पर समिति के अनुसार :** शारीरिक दंड को "किसी भी प्रकार का दंड जिसमें शारीरिक बल का उपयोग किया जाता है और जिसका उद्देश्य बच्चों को कुछ हद तक दर्द या असुविधा पहुँचाना होता है" के रूप में परिभाषित किया गया है।
- **प्रचलन :** विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, शारीरिक दंड वैश्विक स्तर पर घरों और स्कूलों दोनों में अत्यधिक प्रचलित है।
- **आंकड़े :** विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2 से 14 वर्ष की आयु के लगभग 60% बच्चे नियमित रूप से अपने माता-पिता या अन्य देखभाल करने वालों द्वारा शारीरिक रूप से दंडित किए जाते हैं।

शारीरिक दंड के उदाहरण :

- बच्चों को बेंच पर खड़ा करना।
- दीवार के सामने कुर्सी जैसी मुद्रा में खड़ा करना।
- सिर पर स्कूल बैग लेकर बैठना।
- पैरों में हाथ डालकर कान पकड़ना।
- घुटनों के बल बैठना।
- जबरन कोई पदार्थ खिलाना।
- बच्चों को स्कूल परिसर के भीतर बंद स्थानों तक सीमित रखना।

मानसिक उत्पीड़न के उदाहरण :

- बच्चे के लिए व्यंग्य, अपशब्दों और अपमानजनक भाषा का उपयोग करना।
- बच्चे का उपहास करना या करवाना।
- बच्चे का अपमान करना या उसे लज्जित करना।
- बच्चों को भावनात्मक रूप से कष्ट पहुँचाना और उसके लिए समस्याग्रस्त वातावरण निर्मित करना।

शारीरिक दंड का औचित्य :

- अमेरिका के 22 राज्यों में स्कूलों में शारीरिक दंड की विधिक अनुमति है।
- भारत में भारतीय दण्ड संहिता (IPC), 1860 की धारा 88 और 89 शारीरिक दंड के लिए कुछ प्रावधान निर्धारित करती हैं।

किशोर न्याय अधिनियम 2015 :

- "बच्चे का सर्वोत्तम हित" धारा 2(9) में बच्चे की पहचान, शारीरिक, भावनात्मक, और बौद्धिक विकास को ध्यान में रखने की बात कही गई है।

बच्चों के विरुद्ध शारीरिक दंड का प्रभाव :

- **मानसिक स्वास्थ्य :** बढ़ी हुई चिंता और अवसाद,

PLUTUS IAS

आत्मसम्मान में कमी, आक्रामकता और हिंसा, संबंधों में कठिनाई।

- **शारीरिक स्वास्थ्य :** शारीरिक चोट, मादक द्रव्यों का सेवन।

वर्तमान समय में भारत में बच्चों के प्रति शारीरिक दंड के संबंध में संवैधानिक और कानूनी प्रावधान क्या हैं ?

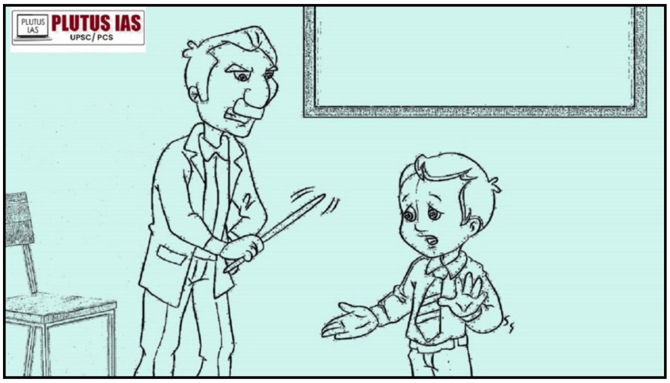

भारत में बच्चों के प्रति शारीरिक दंड के विरुद्ध संवैधानिक और कानूनी प्रावधान इस प्रकार हैं –

वैधानिक प्रावधान :

- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 :** भारतीय संविधान की धारा 17 में बच्चों के प्रति शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न पर पूर्ण प्रतिबंध है, और इसे दंडनीय अपराध माना गया है।
- **किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 :** भारतीय संविधान की धारा 23 के अनुसार, नाबालिग के प्रति दुर्व्यवहार करने वाले वयस्क को जेल और जुर्माना दोनों ही हो सकता हैं।

कानूनी प्रावधान :

- **भारतीय दण्ड संहिता (IPC) 1860 :**
  - धारा 305: बच्चे को आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित है।
  - धारा 323: स्वेच्छा से चोट पहुँचाने से संबंधित है।
  - धारा 325: स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुँचाने से संबंधित है।

भारत में बच्चों के प्रति शारीरिक दंड से संबंधित न्यायिक मामले :

- **अंबिका एस नागल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, 2020 :** इस मामले में हिमाचल प्रदेश राज्य के उच्च न्यायालय ने यह माना कि माता-पिता ने अपने बच्चे को स्कूल में सज़ा और अनुशासन के अधीन होने की निहित सहमति दी है।
- **राजन बनाम पुलिस के उप-निरीक्षक, 2014 :** केरल उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए कि शिक्षक के पास दंड देने का अधिकार है, के तहत बच्चों को शारीरिक दंड देने को बरकरार रखा।

संवैधानिक प्रावधान :

- **अनुच्छेद 21A :** इसके अनुसार 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है ।
- **अनुच्छेद 24 :** भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाने पर प्रतिबंध है।
- **अनुच्छेद 39(e) :** भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार यह राज्य का कर्त्तव्य है कि किसी भी प्रकार की आर्थिक असमानता के कारण बच्चों के साथ दुर्व्यवहार न हो।
- **अनुच्छेद 45 :** इस अनुच्छेद के तहत 0-6 वर्ष के बच्चों की देखभाल करना राज्य का कर्त्तव्य है।
- **अनुच्छेद 51A(k) :** भारत में संविधान के इस अनुच्छेद के तहत माता – पिता का यह मौलिक कर्त्तव्य है कि उनके बच्चे को 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए शिक्षा प्राप्ति को सुनिश्चित किया जाए।

भारत में बच्चों के प्रति शारीरिक दंड से संबंधित सांविधिक निकाय :

- **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) :** बच्चों के खिलाफ शारीरिक दंड को समाप्त करने के लिए NCPCR दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक स्कूल को शारीरिक दंड निगरानी सेल का गठन करना होगा।

बच्चों के प्रति शारीरिक दंड से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून :

- **बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UN-CRC), 1989 :** अनुच्छेद 19 में बच्चों को हिंसा से जुड़े किसी भी प्रकार के अनुशासन से बचाने का अधिकार है।

भारत में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग :

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) भारत में एक प्रमुख संस्था है जो बाल अधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए समर्पित है।
- इसकी स्थापना **मार्च 2007** में **बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005** के अंतर्गत की गई थी।
- भरात में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय संविधान और **संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकारों पर कन्वेंशन** के अनुसार बच्चों के अधिकारों का पालन किया जाए।
- भारत में यह आयोग **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** के अधीन कार्य करता है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रमुख कार्यों में शामिल हैं :

- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009** के तहत बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जांच करना है ।
- **यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012** के कार्यान्वयन की निगरानी करना है।
- इसके अलावा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों के खिलाफ होने वाले अन्य अपराधों और उनके अधिकारों के हनन के मामलों में भी हस्तक्षेप करता है।
- भारत में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहलों और अभियानों का संचालन करता है।

समाधान / आगे की राह :

भारत के स्कूलों में बच्चों के लिए शारीरिक दंड और दुर्व्यवहार से बचाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण कानून निम्नलिखित है –

- **बाल संरक्षण कानून (Child Protection Laws) :** भारत में बच्चों की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के तहत सभी बच्चों के अधिकार सुरक्षित होते हैं और उन्हें संरक्षण दिया जाता है।
- **बच्चों के खिलाफ हिंसा के खिलाफ जागरूकता :** बच्चों के खिलाफ हिंसा, शोषण और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। शिक्षकों, माता-पिता, और समाज के अन्य सदस्यों को बच्चों के अधिकारों की प्रमाणित जानकारी और उनके सुरक्षा के बारे में जागरूक करने की जरूरत है।
- **बच्चों के शिक्षकों के लिए जागरूकता :** शिक्षकों को बच्चों के साथ व्यवहार करते समय उनके अधिकारों की प्रमाणित जानकारी होनी चाहिए। उन्हें शारीरिक दंड के बारे में भी जागरूक किया जाना चाहिए ताकि वे बच्चों के साथ सही तरीके से व्यवहार करें।
- **बच्चों के अधिकार की जांच :** राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, शारीरिक दंड को किसी भी कार्रवाई के रूप में समझा जाता है जो बच्चे को दर्द, चोट और परेशानी का कारण बनता है,

चाहे वह हल्का ही क्यों न हो। इन प्रावधानों के तहत भारत में बच्चों के प्रति शारीरिक दंड के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं और उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं।

भारत में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा निर्धारित ये दिशा – निर्देश बच्चों को शारीरिक दंड और दुर्व्यवहार से बचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं और उनके संरक्षण के लिए एक सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं।

स्त्रोत – द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. निम्नलिखित अधिकारों पर विचार कीजिए :

1. भारत के प्रत्येक नागरिकों का सार्वजनिक सेवा तक समान पहुँच का अधिकार।
2. सभी नागरिकों को शिक्षा का अधिकार।
3. भारत में सभी को भोजन का अधिकार।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से "मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा" के अंतर्गत मानवाधिकार है/हैं?

A. केवल 1 और 2

B. केवल 2 और 3

C. केवल 2 और 3

D. केवल 1, 2 और 3

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में मानवाधिकार आयोग की संरचनात्मक सीमाएँ क्या हैं और बच्चों के प्रति शारीरिक दंड और दुर्व्यवहार से बचाव से संबंधित संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों का उल्लेख करते हुए शारीरिक दंड के मुद्दे पर तर्कसंगत चर्चा करें?
(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

राजनीति में निष्कलंकता बनाम दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध : सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई

खबरों में क्यों ?

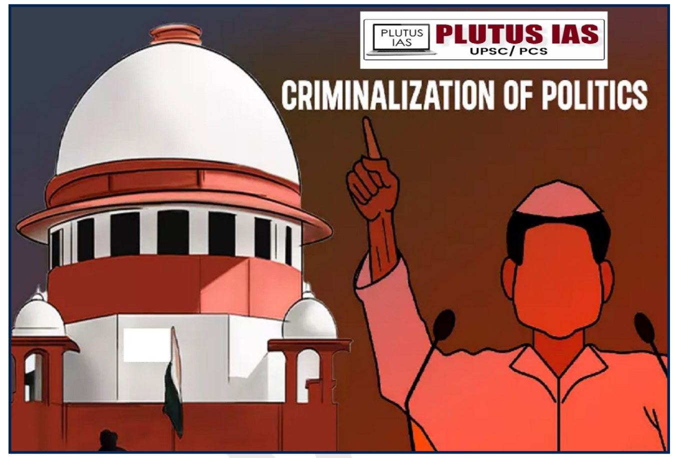

- हाल ही में भारत में अपराधी राजनेताओं के चुनावी मैदान में उतरने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई भी कर रही है।
- यह याचिका राजनीति के अपराधीकरण करने और अपराधी एवं अपराधों को समाप्त करने के उद्देश्य से उन व्यक्तियों पर चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने पर स्थायी रोक लगाने की मांग कर रही है।
- इस याचिका में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RP अधिनियम, 1951) में संशोधन की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है, ताकि दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को भारत में विभिन्न स्तरों पर होने वाले चुनावों में शामिल या भागीदार होने से रोका जा सके।

भारत में दोषी व्यक्तियों द्वारा चुनाव लड़ने से संबंधित विधिक प्रावधान और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय :

विधिक प्रावधान :

- **धारा 8(3) :** इस प्रावधान के तहत अपराधी व्यक्ति की सजा की अवधि के आधार पर चुनाव लड़ने के अयोग्य होने की अवधि निर्धारित की जाती है। इसके तहत यदि किसी व्यक्ति को दो वर्ष या उससे अधिक की सजा होती या सजा सुनाई

जाती है, तो वह सजा की अवधि और रिहाई के बाद छह वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है।

- **धारा 8(1) :** इस धारा के तहत कुछ विशेष अपराधों के लिए चुनाव लड़ने की अयोग्यता तय की गई है, जिसमें बलात्कार, आतंकवाद, भ्रष्टा-चार, और अन्य जघन्य अपराध शामिल हैं। इन मामलों में, दोषी व्यक्ति सजा के बाद और रिहाई के छह साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो सकता है।
- **धारा 11 :** इस धारा के प्रावधानों के तहत यह भारत में निर्वाचन आयोग को यह अधिकार देता है कि वह किसी दोषी व्यक्ति की अयोग्यता अवधि को समाप्त कर सकता है या कम कर सकता है। उदाहरण स्वरूप, 2019 में निर्वाचन आयोग ने प्रेम सिंह तमांग (सिक्किम के मुख्य-मंत्री) की अयोग्यता अवधि को 6 साल से घटाकर 13 महीने कर दिया, जिससे वह भ्रष्टाचार के बावजूद चुनाव में भाग लेने के योग्य हो गए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय :

1. **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) मामला, 2002 :** इस मामला में सर्वोच्च न्याया-लय ने अपने निर्णय में यह अनिवार्य कर दिया कि सभी चुनावी उम्मीदवार अपने आपराधिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक करें, ताकि मतदाता को सही जानकारी मिल सके।
2. **CEC बनाम जन चौकीदार मामला, 2013 :** इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जिन व्यक्तियों को जेल में रखा गया है, वे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(5) के तहत अपना 'निर्वाचक' दर्जा खो देते हैं, और ऐसे व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाते हैं। हालांकि, संसद ने 2013 में इस प्रावधान में संशोधन कर विचाराधीन कैदियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी थी।
3. **लिली थॉमस केस, 2013 :** इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(4) को निरस्त कर दिया, जो पहले दोषी विधायकों को अपील दायर करने तक पद पर बने रहने की अनुमति देता था। अब, किसी भी सांसद या विधायक के दोषी पाए जाने पर उसे तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।
4. **पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन केस, 2018 :** इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के सभी राजनीतिक दलों को यह निर्देश दिया था कि वे अपने उम्मीदवारों के समस्त आपराधिक रिकॉर्ड को अपनी वेबसाइटों, सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करें, ताकि मतदाताओं को उम्मीदवारों के समस्त आपराधिक रिकॉर्ड की उचित जानकारी मिल सके।

भारत में राजनीति के अपराधीकरण की स्थिति :

- ADR द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में हुए लोकसभा के आम चुनाव में चुने गए 543 सांसदों में से 251 (46%) के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 171 (31%) सांसदों पर बलात्कार, हत्या, हत्या का प्रयास और अपहरण जैसे गंभीर आपराधिक आरोप हैं।
- इसके अतिरिक्त, जिन उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड था, उनकी जीतने की संभावना 15.4% थी, जबकि स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवारों के जीतने की संभावना केवल 4.4% थी।

भारत में दोषी राजनेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के पक्ष में तर्क :

- भारत में चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के संबंध में वोहरा समिति (1993) ने यह सिफारिश की थी कि चुनावों में उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की कड़ी जांच होनी चाहिए और जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक आरोप हैं, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया जाए।
- इस समिति का यह भी सुझाव था कि जैसे सरकारी कर्मचारियों को दोषी पाए जाने पर बर्खास्त कर दिया जाता है, वैसे ही राजनेताओं को भी अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।

भारत में दोषी राजनेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के विपक्ष में तर्क:

- वोहरा समिति के सिफारिशों का विरोध करते हुए कहा गया है कि भारत में चुनावी प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा सकता है और अपने विरोधियों को अयोग्य बनाने के लिए वे अपने विरोधियों को झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि सांसदों और विधायकों को सरकारी कर्मचारियों जैसी "सेवा शर्तें" नहीं मिलतीं है। अतः सजा के बाद छह वर्ष तक चुनाव में भागीदारी लेने की की अयोग्यता ही उनके लिए पर्याप्त दंड है।
- भारत में दोषी राजनेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के विपक्ष में तर्क देने वाले यह भी मानते हैं कि भारत में सांसदों और विधायकों को सरकारी कर्मचारियों की तरह सेवा नियमों के तहत नियुक्त नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें जनता द्वारा चुना जाता है। इसके अलावा, उनके कार्यकाल की अवधि पांच वर्ष होती है और हर पांच साल में उन्हें पुनः चुनाव में भाग लेना पड़ता है, जिससे वे मतदाताओं के प्रति सीधे जवाबदेह होते हैं।
- भारत में दोषी राजनेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के विपक्ष में तर्क देने वाले के अनुसार, दोषी व्यक्तियों को सेवा का दूसरा मौका देने से इनकार करना और सुधार की संभावना को नकारना उचित नहीं है। इसके बजाय, राजनेताओं के खिलाफ मामलों की त्वरित सुनवाई जैसे उपाय अधिक प्रभावी साबित हो सकते हैं।

समाधान / आगे की राह :

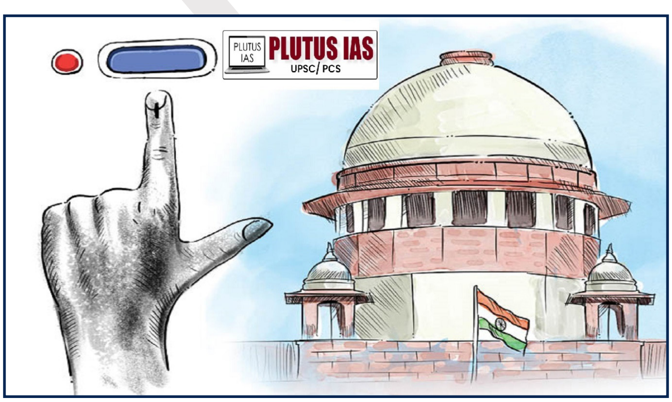

1. **चुनावी प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों के अयोग्यता से संबंधित मानदंडों को और अधिक सुदृढ़ करने की जरूरत :** भारत में राजनीति के अपराधीकरण को नियंत्रित करने के लिए निरर्हता (अयोग्यता) से संबंधित मानदंडों को और कड़ा किया जाना चाहिए। विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए जो भ्रष्टाचार, आतंकवाद या लैंगिक अपराध जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त हैं। इन अपराधों के लिए अयोग्यता की अवधि को वर्तमान छह वर्ष से अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे व्यक्तियों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखा जा सके और अपराधियों को राजनीति में अपनी जगह बनाने का अवसर न मिले।
2. **चुनाव आयोग को और अधिक सुदृढ़ विनियामक शक्तियाँ प्रदान करने एवं उसका सशक्तीकरण करने की आवश्यकता :** निर्वाचन आयोग (EC) को उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड और वित्तीय खुलासों की सत्यता की जांच के लिए अधिक शक्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए। यह सशक्तीकरण आयोग को उम्मीदवारों के पृष्ठभूमि की गहरी और पारदर्शी जांच करने की अनुमति देगा, जिससे चुनावी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा मिलने से रोका जा सके। इसके साथ ही, निर्वाचन आयोग को यह अधिकार भी मिलना चाहिए कि वह उन उम्मीदवारों को चुनाव में भाग लेने से रोक सके, जिनके खिलाफ किसी भी अदालत ने गंभीर अपराधों के आरोप तय किए हों।
3. **विशेष न्यायालयों में मामलों की त्वरित सुनवाई एवं समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करने हेतु न्यायिक स्तर पर सुधार करने की जरूरत :** समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करने के लिए सांसदों और विधायकों के आपराधिक मामलों के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की जानी चाहिए। इन विशेष अदालतों में मामलों की त्वरित सुनवाई होनी चाहिए, ताकि लंबी कानूनी प्रक्रिया का शिकार होकर अपराधी चुनावी दौड़ में शामिल न हो सकें। न्यायिक प्रक्रिया को और तेज़ बनाने की आवश्यकता है, जिससे न्याय का त्वरित वितरण हो सके और अपराधियों को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का अवसर न मिले।
4. **एक अनिवार्य आचार संहिता लागू करने की आवश्यकता :** सार्वजनिक जीवन में नैतिकता, उत्तरदायित्व और अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक नेताओं के लिए एक अनिवार्य आचार संहिता लागू की जानी चाहिए।

यह आचार संहिता राजनीतिक नेताओं को उच्च नैतिक मानकों का पालन करने के लिए बाध्य करेगी, ताकि उनका आचरण समाज में एक आदर्श बने और भ्रष्टाचार और अपराध की संभावना को कम किया जा सके।

5. **निर्वाचन आयोग के अधीन एक विशेष राजनीतिक नैतिकता समिति का गठन करने की जरूरत** : चुनावों में राजनीतिक नैतिकता और नैतिक मानकों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए निर्वाचन आयोग के अधीन एक विशेष "राजनीतिक नैतिकता समिति" का गठन किया जाना चाहिए। यह समिति यह सुनिश्चित करेगी कि सभी राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवार अपनी आचार संहिता का पालन करें और सार्वजनिक जीवन में उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखें। यह समिति भ्रष्टाचार और अपराध के मामलों को भी विशेष रूप से जांचेगी और संबंधित कार्रवाई करेगी।

6. इन कदमों से न केवल राजनीति में अपराधीकरण पर अंकुश लगेगा, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनावी प्रक्रिया को और अधिक न्यायसंगत, पारदर्शी एवं कदाचार मुक्त बनाया जा सकता है।

स्त्रोत – द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय के तहत सभी चुनावी उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक करना अनिवार्य है?

1. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) मामला, 2002
2. पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन केस, 2018
3. लिली थॉमस केस, 2013
4. CEC बनाम जन चौकीदार मामला, 2013

उपर्युक्त में से कौन सा विकल्प सही है ?

A. केवल 1 और 4
B. केवल 1 और 2
C. केवल 2 और 4
D. केवल 2 और 3

उत्तर – B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. क्या आपको लगता है कि भारत में अपराधी/दोषी राजनेताओं के चुनावी मैदान में उतरने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका पर सुनवाई भारत में राजनीति के अपराधीकरण पर काबू पाने में मदद कर सकती है और चुनावी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और स्वच्छ बना सकती है? तर्कसंगत मत प्रस्तुत करें। (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

PLUTUS IAS

PLUTUS IAS UPSC/ PCS